प्राधिकारी अथवा अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराने में भी इनकी मदद ली जा सकती है।

बलिका भ्रूण हत्या एक ऐसी समस्या है, जिस पर तुरंत सख्ती से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों की मानसिकता बदलने के कार्य के साथ–साथ कानून का भी प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना होगा, तभी हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

बस एक सवाल ... ?

मातृशक्ति यदि नहीं बची तो
बाकी यहाँ रहेगा कौन ?
प्रसव वेदना, लालन–पालन
सब दुख–दर्द सहेगा कौन ?
मानव हो तो दानवता को
त्यागो फिर से उत्तर दो –
इस नन्हीं सी जान के दुश्मन को
इंसान कहेगा कौन ?

कन्या संतान की पुकार

जब हम चाहें धन, दौलत तब हम पूजें लक्ष्मी
जब हम चाहें विद्या, तब हम पूजें सरस्वती
जब हम चाहें बल, तब हम पूजें माँ शक्ति
लेकिन जब जन्में पुत्री .....
तब कहां ! हमारी भक्ति ?

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. **उच्च न्यायालय स्तर पर** – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. **जिला स्तर पर** – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. **तहसील स्तर पर** – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. **सदस्य सचिव,** म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

"जब तक लड़की के जन्म का, लड़के के जन्म के तरह स्वागत नहीं किया जाता, तब तक हमें यह मान लेना चाहिए कि भारत एक आंशिक अपंगता से पीड़ित है।"

– महात्मा गांधी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in ईमेल: mplsajab@nic.in
Toll Free-15100

समाज में व्याप्त कुरीतियों में कन्या हत्या की प्रथा, सबसे घृणित प्रथा रही है। वर्तमान समय में लोगों द्वारा चिकित्सा जगत में आई क्रांति का उपयोग जन्म पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण हत्या के रूप में किया जा रहा है। बालिका भ्रूण हत्या या लिंग चयन गर्भपात का अर्थ है "एम्नियोसेंटेसिस, कोरियॉन विलस बायप्सी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी तकनीकों द्वारा गर्भस्थ भ्रूण के लिंग का पता लगाकर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही खत्म कर देना।" कन्या भ्रूण हत्या के फलस्वरूप स्त्री–पुरूष लिंगानुपात लगातार बिगड़ता जा रहा है। गत शताब्दी के प्रथम चार दशकों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर वर्ष 1981 में 934 महिलायें, वर्ष 1991 में 927 महिलायें हो गया था। इस नीचे जाते ग्राफ के कारण संसद तत्काल हरकत में आई और जन्मपूर्व निदान तकनीक (विनियमन व दुरूपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 पारित किया गया, जो 1 जनवरी 1996 से प्रभावी हुआ। इसे संशोधित रूप में Pre-Conception & Pre-Natal Diagonistic Technique (Prohibition of Sex Solution) Act (पी.सी.एन.डी.टी.) के नाम से 14 फरवरी 2002 से लागू किया गया।

गर्भ धारण के पूर्व और पश्चात् लिंग चयन को प्रतिषिद्ध करने, जन्म पूर्व निदान तकनीकों को आनुवांशिक शारीरिक दोष, गुणसूत्रीय कोशिकीय संरचना के दोष, जन्मजात दोष या लिंग आधारित दोष ज्ञात करने तक विनियमित करने तथा उसका

दुरूपयोग लिंग निर्धारण करने से, जो कन्या भ्रूण हत्या का कारण होता है, रोकने के उद्देश्य से, यह कानून लागू किया गया है।

कानून में गर्भ को गिराने की अनुमति केवल उन्हीं

दशाओं में है, जहां गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो या गर्भ में पल रहा भ्रूण स्वस्थ्य विकसित न होने से, विकलांग शिशु पैदा होने की संभावना हो, या महिला के ऊपर हुए बलात्कार के कारण वह गर्भस्थ हो गई हो अथवा परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग में किसी अवांछनीय स्थिति से गर्भधारण हो गया हो। अन्य किन्हीं दशाओं में गर्भ गिराना कानून में दंडनीय अपराध है।

इस कानून में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए दण्ड के निम्नलिखित प्रावधान हैं :–

1. धारा–22 : गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित कोई विज्ञापन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति या संगठन विज्ञापन करता है तो वह 3 साल के कारावास और 10 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

   यही अपराध दुबारा करने पर उसे 5 साल का कारावास और 50 हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

2. धारा–23 : यदि कोई व्यक्ति या चिकित्सक

अपनी तकनीकी या व्यवसायिक सेवायें लिंग परीक्षण हेतु प्रदान करता है। तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकती है, और जुर्माना जो रू. 50,000/– तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

एक से ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल का कारावास और 1 लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।

3. धारा–24 : यदि पति, गर्भवती महिला पर प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी का प्रयोग करता है, तो यह माना जायेगा कि उसे पति या संबंधियों द्वारा विवश किया गया है। महिला स्वयं भी इस बात की शिकायत कर सकती है। इसके लिए पति को दण्डित किया जावेगा, किन्तु यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि महिला भी अपराधी है तो उसे भी दण्डित किया जावेगा।

4. धारा–25 : यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करता है, और उसके लिए कोई सजा इस अधिनियम में वर्णित नहीं है, तो वह 3 मास के कारावास या एक हजार रूपये तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। लगातार उल्लंघन होने की दशा में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

5. इस धारा के प्रावधान किसी ऐसी महिला पर लागू नहीं होते हैं, जिसे ऐसी निदान तकनीकों अथवा लिंग चयन के लिए विवश किया गया हो।

6. इस अधिनियम के तहत अपराध होने पर पुलिस अपराधी को बिना वारण्ट के गिरतार कर सकती है।

7. यह अपराध अजमानतीय और अशमनीय (समझौता नहीं किया जा सकता) है

8. इस अधिनियम के तहत शिकायत की जा सकती है:–

- समुचित अधिकारी द्वारा,
- इस विषय में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधि.त अधिकारी या समुचित अधिकारी द्वारा
- सामाजिक संगठन सहित किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, न्यायालय में शिकायत की जा सकती है, जिसने समुचित प्राधिकारी को अपराध के बारे में 15 दिन पूर्व नोटिस दिया है, और समुचित प्राधिकारी उसकी शिकायत पर कार्यवाही करने में असफल रहा है।

विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

यदि पी.सी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन होता है तो

संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ली जा सकती है। इनके द्वारा अधिनियम में प्रतिबंधित परीक्षण या तकनीकों के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जायेगी और समुचित